न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 276/2023

लालचन्द पुत्र पूर्णाराम जाति कुम्हार निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदक

वकील प्रार्थी – श्री संदीपसिंह राठौड़

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 बाबत दुरूस्त किये जाने वर्तमान नक्शा सर्वे सीट हाल ख0न0 1034/1220 वाके ग्राम निराधनू

निर्णय

निर्णय दिनांक 11.12.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम निराधनू पटवार हल्का निराधनू की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1034/1220 रकबा 1.63 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। उक्त भूमि गत ख0न0 567/1 से बने है। आवेदक उक्त भूमि को आवारा पशुओं से फसल की रखवासली के लिये तारबंदी करवाना चाहता है जिसके लिये आवेदन ने अपने वर्तमान नक्शे की नकल प्राप्त की तो उक्त भूमि के रिकार्ड मुताबिक नक्शे में भूमि का पूर्व पश्चिम गलत ढ़ंग से दर्शाया गया है जबकि मौके पर तथा गत नक्शा सर्वेशीट में भूमि उत्तर दक्षिण है तथा इसी अनुसार आवेदक भूमि पर काबिज काश्त है इसलिये आवेदक वर्तमान नक्शा सर्वेशीट को गत नक्शा सर्वेशीट के आधार पर दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अन्त में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस की गत नक्शा सर्वे सीट के अनुसार सही तरमीम करवाकर नक्शा सर्वेसीट को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक 637 दिनांक 20.05.2024 के द्वारा ग्राम निराधनू के राजस्व नक्शे में ख0न0 1034 व 1034/1220 की तरमीम नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वर्तमान नक्शा ट्रेस को दुरूस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा ख0न0 1034/1220 के वर्तमान नक्शा ट्रेस को गत ख0न0 567/1 के आधार पर सही तरमीम करवाकर नक्शा सर्वेशीट को दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार मलसीसर ने भी अपनी रिपोर्ट में ख0न0 1034, 1034/1220 को रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाता उचित बताया

है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 1034, 1034/1120 वाके ग्राम निराधनू के वर्तमान नक्शा सीट को तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर